

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

OA NO. 534 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAMLALSINGH

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PG.NO
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 10, SUPERINTENDENT OF POLICE IN COMPLIANCE OF THE ORDERS DATED 06.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 27.11.2025 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE -1.	

3.	A COPY OF THE LETTER DATED 15.12.2025 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE – 2.	
4.	A COPY OF THE NOTICES DATED 02.02.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 3.	
5.	A COPY OF THE LETTER DATED 19.03.2026 IS ANNEXED HEREIN AND MARKED AS ANNEXURE- 4.	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:Bhanwar09jadon@gmail.com)

PHONE NO.-6375115224

DATE: - 21.05.2026


PLACE: - NOIDA



305

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 534 OF 2025



IN THE MATTER OF:

RAMLALSINGH

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

.... RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 10 IN COMPLIANCE
OF THE ORDERS DATED 06.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, ABIJITH R SHANKAR aged about 34 years, S/o
S RAVISHANKAR, presently posted as S.P., Deoria do
hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present response.



2. That I, state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER


3. That, the present Original Application concerns the alleged encroachment and illegal construction over a pond situated at Gata No. 196, Village Fulehra, Tehsil Deoria Sadar, District Deoria, Uttar Pradesh. The Applicant has contended that the said land is recorded as "Pokhari" (water body) in the revenue records, as reflected in the Khatoni placed on record. It has been alleged that Respondent Nos. 15 and 16 have unlawfully occupied the pond area and raised constructions thereupon.

4. That, it is humbly submitted that, in the said matter, the Hon'ble Tribunal, vide order dated 11.02.2026, was pleased to direct as follows:

".....1. Learned Counsel appearing for the Respondents No. 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 has submitted that the reply will be filed within six weeks.

3. The Respondent No. 5 in his reply will disclose the area of the pond along with the supporting revenue record and will also disclose the area which has been encroached upon and the names and details of the encroachers.

5. List on 22.05.2026."




II. REPLY IS AS FOLLOWS

5. That it is submitted that pursuant to the directions of this Hon'ble Tribunal, a copy of the order was provided by the Superintendent of Police to the Station House Officer, Police Station Rampur Karkhana, District Deoria on **27.11.2025** with directions to ensure maintenance of law and order and to provide adequate police force during the proceedings to be carried out by the Revenue Team in respect of the disputed pond/talab.

A copy of the letter dated 27.11.2025 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 1.**

6. That it is further submitted that, upon receipt of Government letter bearing dated **15.12.2025** issued by the Secretary, Government of Uttar Pradesh, Environment, Forest and Climate Change Section-7 regarding compliance of the order dated 14.11.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, and the same was forwarded on **17.12.2025** to the Station House Officer, Police Station Rampur Karkhana to ensure sufficient police force during the proceedings.

A copy of the letter dated 15.12.2025 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 2.**



7. That it is submitted that in compliance thereof, police coordination was established with the Revenue Team and notices were issued to encroachers on **02.02.2026**. Thereafter, on **03.02.2026**, demarcation proceedings were conducted at the site in the presence of adequate police force from Police Station Rampur Karkhana.

A copy of the notices dated 02.02.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 3**.

8. That it is further submitted that, subsequently, on **19.03.2026**, a 08-member Revenue Team carried out demolition/removal of encroachments- including pucca constructions of 0.036hectare area from the disputed pond/talab area of 0.401hectare in the presence of adequate police force, which has also been recorded in the memo prepared by the Revenue Team.

A copy of the letter dated 19.03.2026 is annexed herein and marked as **ANNEXURE- 4**.

9. That it is further submitted that the answering Respondent shall continue to extend necessary police assistance, as and when required by the Revenue Authorities, in compliance with the orders passed by this Hon'ble Tribunal.

10. That the deponent has been duly diligent in complying with the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and has taken



all necessary measures to ensure timely and complete compliance therewith in letter and spirit.

11. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT



msa

VERIFICATION

Verified at DEORIA on this 21 day of May 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

14376
I have Administered Oath To Sworn
Identified by Shri
Have Satisfied By
Examining The Deponent He
Understands the Content of - affidavit
Subscribed to him
21-5-26
CHAND PRASAD
21/5/26




DEPONENT

msa



कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

देवरिया

पत्र संख्या:- रिट-मेमो-1/2025

दिनांक:-नवम्बर 27, 2025

थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना
जनपद देवरिया।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(National Green Tribunal), नई दिल्ली के समक्ष आवेदन संख्या: 534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य के संबंध में।

अवगत कराना है कि विषयान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal), नई दिल्ली के समक्ष आवेदन संख्या: 534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त आवेदन के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक: 14.11.2025 के अनुपालनीय बिन्दु निम्नवत् हैं:-

"4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. List on 11.02.2026."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.11.2025 के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक
देवरिया।

प्रतिलिपि:- क्षेत्राधिकारी नगर जनपद देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना को सम्बन्धित प्रकरण में अनुपालन करने हेतु निर्देशित करें।

CO-नगर - (M) 27.11.25

PS-रामपुर कारखाना - 146 वर्क हॉल की मुला
परावली प्राप्त किया गया
20/11

1/1173718/2025

026

81-7025(099)/40/2025-07 D.o. Environment, Forest and Climate Change

15

मा० एन०जी०टी० प्रकरण

संख्या-एन.जी.टी.-918/81-7-2025-2000477

पेषक,
मनीष मित्तल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

2022

SP/CDO/SDM sadar
श्रीमती अरुणिका, प्रवक्ता
नियंत्रण बोर्डी जोड़वली

डॉ० सत्यम अग्रवाल
15/12/25

- सेवा में,
- 1- उपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
नगर विकास / ग्राम्य विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।
- 2- जिलाधिकारी,
देवरिया।
- 3- सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2025

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-534/2025 रामलाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन०जी०टी०, नई दिल्ली से प्राप्त नोटिस दिनांक 27.11.2025 (छायाप्रति सलगन) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-534/2025 रामलाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

रॉबर्ट कोल

डॉ० आर० काट

पुत्रिस अर्घास देवरिया

16.12.25

4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

संलग्नक कुल- 154 वक

डॉ० रामपुर कारवाना

15/12/25

226

नोटिस


श्री..... अमित पुत्र रामगुदी
 निवासी ग्राम..... फुलेहरा.....
 तप्पा..... नगवा.....
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम..... फुलेहरा.....
 तप्पा..... नगवा..... में स्थित..... पोखरी..... की आराजी संख्या..... 196.....
 रकवा..... 0.005 हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक..... 09.09.2022..... को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमणित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम..... 15..... दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा0नि0

 02.02.2026

नोटिस

श्री. नारद मुनी पुत्र चनर
 निवासी ग्राम फुलेर
 तप्पा न.रा.वा.
 तहसील-देवरिया सदर
 जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम फुलेर
 तप्पा न.रा.वा. में स्थित पोखरी की आराजी संख्या 196
 रकवा ०.०१.०.०.०.० हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक ०१.०१.२०२२ को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11227/11

लेखपाल/रा०नि०

02.02.2024

नोटिस

श्री प्रदुमन पुत्र वामाना
 निवासी ग्राम पुष्पेश्वर
 तप्पा न.ग.वा.
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम पुष्पेश्वर
 तप्पा न.ग.वा. में स्थित पुष्पेश्वर की आराजी संख्या 196
 रकवा 0.0.1.2 हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2022 को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससनय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02.02.2026

पुष्पेश्वर विषयलक्ष्मी

नोटिस

श्री शाम्भू पुत्र राम अयोध्या
 निवासी ग्राम कुलेदा
 तप्पा नारायण
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम कुलेदा
 तप्पा नारायण में स्थित पेड़ा की आराजी संख्या 196
 रकवा ०.००६ हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमणित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लेखपाल/रा०नि०

12/02/2026

पत्नी
माया

नोटिस

श्री. विजयकुमार पुत्र मोहन अमी
 निवासी ग्राम पुलखी
 तप्पा न.प.व.
 तहसील-देवरिया सदर
 जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम पुलखी
 तप्पा न.प.व. में स्थित पुलखी की आराजी संख्या 196
 रकवा २.००६ हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 वेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुत्र मुनिव अमरेश

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02-02-2026

317

231

नोटिस

श्री. फिरोज पुत्र रहमत अबी
निवासी ग्राम. पु.क.२०
तप्पा. नगवा
तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम. पु.क.२०
तप्पा. नगवा में स्थित. पो.ज.३१ की आराजी संख्या. १९६
रकवा. ०.००५ हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक. १६.११.२०२३ को पारित है, किन्तु आप द्वारा
उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
अपना कब्जा अधिकतम. १५ दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
02-02-2026

318

232

नोटिस

श्री. कमिन्द्व पुत्र बंधु
निवासी ग्राम फुलेडा
तप्पा नगवा
तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम फुलेडा
तप्पा नगवा में स्थित फुलेडा की आराजी संख्या 196
रकवा 0:004.हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2023 को पारित है, किन्तु आप द्वारा
उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मेरिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा0नि0

Signature
02-02-2026

नोटिस

श्री बुद्धन पुत्र बंधन
 निवासी ग्राम फुलदा
 तप्पा न.ग.स.
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम फुलदा
 तप्पा न.ग.स. में स्थित न.ग.स. की आराजी संख्या 196
 रकवा ०.००५.०० हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 वेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 1६.11.२०२३ को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02-02-2026

नोटिस

श्री. सुरेश पुत्र वैधन
 निवासी ग्राम फुलरा
 तप्पा नारायण
 तहसील-देवरिया सदर
जनपद-देवरिया।

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम फुलरा
 तप्पा नारायण में स्थित फुलरा की आराजी संख्या 196
 रकवा 0.0.0.0 हे० पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरुद्ध
 बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित है, किन्तु आप द्वारा
 उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा
 नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से
 अपना कब्जा अधिकतम 15 दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को
 हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद
 योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में
 ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा०नि०

Signature
 02-02-2026

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरीत अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या-534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व 15 अन्य के क्रम में ग्राम-फुलेहरा, तप्पा-नगवा, परगना-शाहजहाँपुर, तहसील-देवरिया सदर, जनपद-देवरिया में गाटा संख्या-196, रकवा-0.401हे० जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम अंकित है, पर अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार हटाये जाने हेतु नायब तहसीलदार बखरा की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया जाता है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	श्री गंगा राम	नायब तहसीलदार
2	श्री दिग्विजय नाथ मिश्र	राजस्व निरीक्षक
3	श्री सत्यप्रकाश सिंह	क्षेत्रीय लेखपाल
4	श्री एहतेशाम आलम	लेखपाल
5	श्री सचिन कुमार शर्मा	लेखपाल
6	श्री दिवाकर झां	लेखपाल
7	श्री विजेन्द्र प्रसाद	लेखपाल
8	श्री राजीव कुमार	लेखपाल

उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे मौके पर उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन कराना सुनिश्चित करे।


तहसीलदार
o/c देवरिया सदर


कार्यालय तहसीलदार देवरिया सदर, जनपद-देवरिया।

पत्रांक 621(1-III)/र०का०-2025-26

दिनांक 17 मार्च, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- उपजिलाधिकारी महोदया देवरिया सदर।
- 2- थानाध्यक्ष महुआडीह को इस निर्देश के साथ, कि राजस्व टीम द्वारा किये जा रहे कार्य के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मय महिला पुलिस सहित मौके पर स्वयं उपस्थित रहकर कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करे।
- 3- सम्बन्धित कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।


तहसीलदार
o/c देवरिया सदर।

स्पॉट-मेमो

माननीय राष्ट्रीय स्तर अधिकरण (NGT) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या C34/225-2025 रामबाल वनाम उ०प्र० राज्य व 15 अन्य के क्रम में आज दिनांक 19-03-2026 को ग्राम कुलेहर तप्पा नगवा परगना शाहजहांपुर तहसील व जिला देवािया में स्थित गारा सं. 176 रकबा 0.501 हे जो राजस्व अक्रियेब में पोखरी के नाम से अंकित है पर अवेअ अतिक्रमण के क्रम में नाथब तहसील का बजवा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम व पुलिस बल की उपस्थिति में अमित पुत्र रामदेवी नारदमुनी पुत्र-चनल, व ग्रामभू पुत्र रामअयोध्या का पक्का निर्माण गिरवा दिया गया। साक्ष्य स्वरूप उपस्थित व्यक्तियों का हस्ताक्षर लिपा गया।

ना० टीम

1.
~~व-दिनांक~~
 19/3/2026
 A.T.B.D.

~~व-दिनांक~~
 नं० 2053/84
 73

पुलिस बल

~~AS~~
 19/3/26
 [Signature]
 अधिकारी

ग्रामीण जनता

~~समयेश सिंह~~
 आनंद
 परीम कुशावर्ध
 [Signature]
 [Fingerprint]
 चान्देक प्रसाद